UCO BANK
फोन नं. 07[illegible] 2221244, ईमेल - bhilai@ucobank.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा प्रतिभूत लेनदार यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, कि "जहाँ है, जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर 29.03.2022 को 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक बकाया राशि के वसूली के लिए बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम समय नीलामी के 2 घंटे पूर्व सुनिश्चित की गई है। ई-नीलामी की तिथि व समय - 29.03.2022 को सुबह 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ।

क्र.	शाखा का नाम	खाती एवं गारंटर का नाम	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि व कब्जा सूचना तिथि	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य बयाना राशि अनुमानित सुरक्षा पूंजी
1.	सेक्टर-1, भिलाई	श्रीमती सुजाता सिंह व श्री वीरेन्द्र सिंह	₹ 18,98,257/- + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्चे	29.11.2018 01.02.2019 सांकेतिक कब्जा	खसरा नं. 503/20, वार्ड नं.-39, खपरैलवाल कालोनी के पास, कसारीडीह, कचहरी वार्ड, दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश भूमि का क्षेत्र फल - 1680 वर्गफुट, निर्मित क्षेत्रफल - भूतल 859 वर्गफुट एवं प्रथम तल -292 वर्गफुट	22.85 लाख 2.29 लाख 25000
2.	सेक्टर-1, भिलाई	श्री संतोष कुमार साहू व श्री मैकल साहू	₹ 21,03,810/- + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्चे	16.03.2019 25.05.2019 सांकेतिक कब्जा	खसरा नं. 261/4 एवं 261/5, डबूएलेक्स रो-मकान नं.-13, स्वप्न शिल्प परिसर, रावतपुरा सरकार कॉलेज के पास, जंजगिरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश भूमि का क्षेत्र फल - 1085.85 वर्गफुट, निर्मित क्षेत्रफल - भूतल 608 वर्गफुट एवं प्रथम तल -608 वर्गफुट	17.68 लाख 1.77 लाख 25000
3.	सेक्टर-1, भिलाई	श्रीमती मंजुषा रोजिन्दर, श्री मयंक रोजिन्दर व श्री इशान रोजिन्दर	₹ 81,31,930.14 + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्चे	04.01.2021 17.03.2021 सांकेतिक कब्जा	प्लॉट नं. 14, ब्लॉक नं.-25, मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश भूमि का क्षेत्र फल - 3389.40 वर्गफुट, निर्मित क्षेत्रफल - भूतल 1307 वर्गफुट एवं प्रथम तल -662.35 वर्गफुट	125.40 लाख 12.54 लाख 25000
4.	सेक्टर-1, भिलाई	श्रीमती हेमा दास वैष्णव एवं श्री रामचेन्द्र दास वैष्णव	₹ 20,06,430.78 + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्चे	06.07.2021 10.09.2021 सांकेतिक कब्जा	प्लॉट नं. 17, खसरा नं. 60/2 एवं 61/2 का टुकड़ा, अनुपा रेसीडेंसी, [illegible]वानी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भूमि के समस्त भाग या अंश भूमि का क्षेत्र फल - 2400 वर्गफुट	27.25 लाख 2.73 लाख 25000
5.	सेक्टर-1, भिलाई	श्री बलजिन्दर सिंह सैनी, श्रीमती सरबजीत सैनी	₹ 987051.65 + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्च	06.08.2019 04.11.2019 सांकेतिक कब्जा	प्लॉट नं.- ए-03, खसरा नं.- 77/45 का टुकड़ा, आनंद विहार कालोनी, फेज-3, बोरसी, बोरसी बसती वार्ड, जिला-दुर्ग में स्थित भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश भूमि का क्षेत्रफल - 1485 वर्ग फुट, निर्मित क्षेत्र - भूतल -742.44 वर्ग फुट। और प्रथम तल मंजिल-700.26 वर्ग फुट।	30.16 लाख 3.02 लाख 25000
		श्री जसजीत सिंह सैनी, श्री बलजिन्दर सिंह सैनी, श्रीमती सरबजीत सैनी	₹ 1789916.72 + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्च	26.08.2021 22.11.2021 सांकेतिक कब्जा		
6.	सेक्टर-1, भिलाई	श्री सुरेश कुमार अम्पुकुट्टम एवं श्रीमती सुनीता सुरेश कुमार	₹ 1904970.00 + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्चे	22.12.2017 05.05.2018 सांकेतिक कब्जा	प्लॉट का खसरा नं.- 1159/33 एवं 1159/34, प.ह.नं.- 14/19, कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग में स्थित भूमि के समस्त भाग तथा अंश भूमि का क्षेत्रफल - 3000 वर्ग फुट	26.02 लाख 2.61 लाख 25000

अन्य प्रभार/सरकारी बकाया/मार - की जानकारी नहीं है

संपत्ति निरीक्षण दिनांक व संपर्क व्यक्ति-24.03.2022 को सुबह 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के बीच श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक के माध्यम से सम्पर्क - मो. 9644050800
आई एफ एस सी कोड नं. - UCBA0000125, खाता नं.: 01250210000571, दूरभाष नं.: 0788-2221244, ई-मेल : bhilai@ucobank.co.in

नियम व शर्तें:- 1. प्रतिभूत आस्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 2. उपर्युक्त संपत्ति का नीलामी विक्रय उपयुक्त समय के अनुसार 29.03.2022 को 11.00 बजे पूर्वान्ह से 4.00 बजे अपराह्न के बीच प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ वेबसाइट https://mstcecommerce.com के माध्यम से ऑनलाईन ई-नीलामी / बोली होगी। 3. इच्छुक बोली लगाने वाले (बोलीदाता) को पैनल पर अपना पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा, यह ई-बोली के लिए अनिवार्य है। 4. इच्छुक बोली लगाने वाले (बोलीदाता) को सूचित किया जाता है कि अपनी बोली प्रस्तुत करने एवं ई-नीलामी विक्रय कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व नीलामी विक्रय के विस्तृत शर्तें एवं निबंधनों के लिए वेबसाइट https://mstcecommerce.com का अवलोकन करें। 5. बोली संबद्ध विवरणों के साथ निर्धारित प्रपत्र में केवल ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत किए जाएगी। 6. उपर्युक्त संपत्ति के लिए बयाना जमा राशि आरटीजीएस / एनईएफटी विधि अन्तरणक माध्यम से कॉलम (2) में वर्णित खाता संख्या में जमा किए जाएगे या प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक के पक्ष में एवं सेक्टर-1, भिलाई में देय बैंक ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश के माध्यम से 28.03.2022 के अपराह्न 4.00 बजे से पूर्व जमा किए जाएं। संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, सेक्टर-1, भिलाई मो. नं. 9644050800 से सम्पर्क किया जा सकता है। 7. ऑनलाईन प्रस्तुत बोली पासवर्ड की प्रति (सुरक्षित कवर के साथ) प्राधिकृत अधिकारी/ शाखा प्रमुख, सेक्टर-1, भिलाई शाखा (छ.ग.) को प्रस्तुत किया जाए या इसकी सॉफ्ट प्रति, bhilai@ucobank.co.in पर अग्रेषित की जाए। 8. बोली की कीमत न्यूनतम आरक्षित मूल्य के बराबर या इससे अधिक होनी चाहिए, यह किन्तु 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) के गुणज में अंकित हो। कृपया नोट करें कि सिस्टम में जो प्रथम ऑनलाईन बोली आती है, ऑनलाईन अगली बिक्री, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त उच्चतम बोली से एक वृद्धि अधिक होगी, अर्थात प्रारंभिक बोली से एक वृद्धि अधिक होगी, या प्रारंभिक कीमत के वृद्धि के गुणकों से अधिक होगी। नीलामी के दौरान बाद की बोली आने पर एवं 1 दर एक वृद्धि मूल्य / उसके गुणकों से अधिक होगी। 9. सफल बोली लगाने वाले (बोलीदाता) को बोली राशि (पहले ही प्रदत्त बयाना जमा राशि [illegible] का 25% ई-नीलामी विक्रय [illegible] समाप्त होने के बाद विक्रय के दिन खण्ड 6 में निर्धारित तरीके से जमा करना होगा। विक्रय कीमत शेष 75% मात्र सफल बोली लगाने वाले को आवंटनकर्ता द्वारा बिक्री की स्वीकृति / पुष्टि करने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। 10. उपर्युक्त निर्धारित समय के अनुसार बोली लगाने वाले (बोलीदाता) द्वारा बोली की राशि जमा कराने में विफल रहने पर बोली लगाने वाले (बोलीदाता) द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। 11. असफल बोली लगाने वाले (बोली) की बयाना जमा राशि ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही समाप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी। 12. विक्रय बैंक की पुष्टि के अधीन है। यदि प्राधिकारी / शाखा प्रमुख / विक्रय की तिथि के पूर्व बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करता है तो कोई विक्रय नहीं किया जाएगा। 13. इच्छुक बोली लगाने वाले को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व देय प्रभार के अतिरिक्त, किसी प्राधिकारी से संपत्ति के संबंध में विभार प्रभार [illegible] के बारे में पूर्व में स्वतंत्र रूप से पूछताछ कर लेनी चाहिए एवं संपत्ति के बारे में पूर्व में स्वतंत्र रूप से जांच कर लेनी चाहिए। विक्रय [illegible] में संपत्ति पर प्रभार, कराधार आदि किसी भार के संबंध में ऑनलाईन बोली प्रस्तुत के समय कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। 14. किसी कारण से [illegible] किसी पूर्व सूचना के बोली को स्थगित/निरस्त / विक्रय के निबंधनों एवं शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार एवं विवेक अधिकारी के पास है। 15. देय [illegible] विक्रय प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रभार सहित सभी कर, सरकार को भुगतान किए जाने वाले सभी प्रकार के सांविधिक शुल्क, कर, संपत्ति से संबंधित वर्तमान एवं भविष्य दोनों के सभी नियंत्रण शर्तें आदि का भार वहन करेगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल [illegible] खरीदने के नाम में जारी किया जाएगा। 16. विक्रय स्वत्वेभी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित एवं उपर्युक्त शर्तों के अधीन होगा। 17. एक बोली लगाने वाला (बोलीदाता) होने की स्थिति में बयाना राशि में न्यूनतम 1 बोली वृद्धि मूल्य की बढ़ोतरी करनी होगी। अन्यथा विक्रय निरस्त / स्थगित किया जाएगा। 18. विक्रय के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in में उपलब्ध लिंक देखें। यह प्रकाशन उपर्युक्त उधारकर्ताओं/ गारंटीदाताओं / बंधककर्ताओं को 30 दिनों की नोटिस भी है। —

विक्रय की तिथि से दिनांक 25.02.2022 का अंग्रेजी अखबार "द हितवाद" रायपुर संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन मान्य होगा

दिनांक : 25.02.2022 स्थान : भिलाई [illegible] प्राधिकृत अधिकारी / यूको बैंक [illegible]